

परिशिष्ट चार
का संशोधन

4. उक्त नियमावली में, परिशिष्ट चार में, मानक नियम 16 के पश्चात्, निम्नलिखित मानक नियम 17 और 18 बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:-

निर्वाचन
कराना

17. संघ उसके पदधारियों का निर्वाचन उसकी उपविधियों में विहित अवधि के भीतर या दो वर्षों के भीतर, जो भी पहले हो, करायेगा।

उप-विधियों
का संशोधन

18. संघ की उप-विधियां बिना सरकार की पूर्व अनुमति के संशोधित नहीं की जायेंगी।

ओज़ा से,

प्रदीप शुक्ला
सचिव।

&